


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
02.03.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि उपरोक्त खसरान् भूमियो में जो मूल विवाद अप्रार्थी संख्या 10 व 11 से है इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। मूलवाद प्रार्थी ने 53, 188 आर. टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत कर रखा है। मूलवाद अभी विचाराधीन है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में उक्त प्रार्थना-पत्र में दिनांक 03.08.2015 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है जिसे मूलवाद के निस्तारण तक यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>पत्रावली फेसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर</p>	